

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

पत्रांक 3247/14-10(FP/UP/Approach/150537/2021) सहारनपुर, दिनांक, 28/5/2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा दिल्ली- हरिद्वार मार्ग कि०मी० चैनैज 110.200 की दांयी पटरी खसरा संख्या -1843/2 के किनारे ग्राम जडौदा, तहसील सदर, जिला- मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य, लखनऊ का कार्यालय पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/171/2023/एफ.सी./21, दिनांक-22.04.2024 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर का पत्रांक 3349/14-1(FP/UP/Approach/150537/2023) दि० 20.5.2024

महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.5.2024 द्वारा, उनके प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत, दिल्ली- हरिद्वार मार्ग कि०मी० चैनैज 110.200 की दांयी पटरी के किनारे, खसरा संख्या -1843/2 ग्राम जडौदा, तहसील सदर, जिला- मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.4102 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 05 वृक्षों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक-22.4.2024 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है, जिसके कम में उक्त सैद्धान्तिक अनुमति दिनांक 22.4.2024 की शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-

S. NO.	Conditions	Compliances
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	IGL New Delhi/User agency undertakes that Legal status of the forest land shall remain unchanged. (Annexure -2)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.8205 ha. Degraded Forest Land in Tikola Forest Block, Jansath Range, Social Forestry Division Muzaffarnagar at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	DFO Muzaffarnagar and user agency undertake that Compensatory afforestation will be taken up by social forestry division Muzaffarnagar in an area of 0.8205 ha. (DFL) Degraded Forest Land in Tikola Forest Block, Jansath range, social forestry division Muzaffarnagar at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species shall be avoided. (Annexure - 3, 4, 4a)
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	IGL New Delhi / User agency undertakes that, Rs. 5,00,840.00/- deposited in CAMPA fund for compensatory afforestation. (Annexure -5, 5a)
4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.4102 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5 3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 in this regards.	IGL New Delhi/ User agency undertakes that Rs. 3,92,882.00/- deposited in CAMPA fund for the Net Present Value (NPV). Payment history is attached as. (Annexure -6, 6a)
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization	IGL New Delhi / User agency undertakes to pay the additional net present value (NPV), (if any) for 0.4102 ha.

	of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	forest area diverted for construction of Retail outlet. (Annexure -7)
6	User agency shall restrict the felling of trees to 05 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the State Forest Department.	IGL New Delhi /User agency undertakes that they will restrict the felling of trees to 05 trees/ minimum number in the diverted forest land and the trees will be fell under the strict supervision of the state forest department and the cost of feeling of trees will be deposited by the user agency with the state forest department. (Annexure -8)
7	Separator island has to be maintained as Green Belt, in consultation with DFO. Green belt plan on separator island shall be approved by DFO, ensuring appropriate site specific species, Green belt plan shall also include species to be planted on the periphery of retail outlets and service road, if applicable, Green plan in respect of Separator island/entry & exit /service road as applicable and duly approved by DFO be submitted along with compliance report.	IGL New Delhi / User agency undertakes that Separator island will be maintained as Green Belt, in consultation with DFO, Green belt plan on separator island is approved by DFO, ensuring appropriate site specific species. Green belt plan is also include species to be planted on the periphery of retail outlets and service road. Green plan on Separator island/entry & exit /service road is approved by DFO and attach with compliance report. (Annexure -09, 9a, 9b)
8	Entire periphery of the establishment should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without compromising with the land requirement of the establishment.	IGL New Delhi / User agency undertakes that Entire periphery of the establishment will be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without compromising with the land requirement of the establishment. (Annexure -10)
9	User Agency and authorized signatory oil company issuing sanction letter shall be liable for land use including tree plantation for entry/exit and Separator island strictly as per the approved layout plan and any violation/ non adherence shall attract penal action/ prosecution in competent court of jurisdiction as per Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, (1980), Rules and guidelines.	User agency and authorized signatory oil company will liable for land use including tree plantation for entry/exit and Separator island strictly as per the approved layout plan and any violation /non adherence shall attract penal action/prosecution in competent court of jurisdiction as per FCA(1980), Rules and guidelines. (Annexure -11)
10	Green Plan duly approved by DFO in respect of Separator island/entry/exit/service road as applicable be submitted and Geo tagged six monthly reports be maintained at retail outlet and be submitted six monthly .	IGL New Delhi / User agency undertakes that Green Plan duly approved by DFO in respect of Separator island/entry/exit/service road as applicable be submitted and Geo tagged six monthly reports be maintained at retail outlet and be submitted six monthly . (Annexure -12)
11	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA certificate enclosed as (Annexure -13, 13a)
12	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	No Violation of Forest (Conservation) Act 1980 Certificate from concerned DFO enclosed (Annexure -14, 15)
13	Greenery will be maintained by user agency around Periphery of Diesel Station.	IGL New Delhi / User agency undertakes that Greenery will be maintained by them around Periphery of Fuel Station. (Annexure -16)
14	User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.	IGL New Delhi / User agency undertakes that they will use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet

		wall.certificate enclosed as. (Annexure -17)
15	Plantation shall also be done along the inside boundary of Diesel Station.	IGL New Delhi / User agency undertakes that Plantation will be done along the inside boundary of fuel Station. (Annexure -18)
16	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	certificate enclosed as (Annexure – 19, 20)
17	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	IGL New Delhi / User agency undertakes that The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. (Annexure -21)
18	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	IGL New Delhi / User agency undertakes that The period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. (Annexure -22)
19	The KMI. file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works. (Annexure -23,24)
20	The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.	IGL New Delhi / User agency undertakes that The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFOV/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Forest (Conservation) Act, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter. (Annexure -25, 26)
21	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests& wildlife.	IGL New Delhi / User agency undertakes that Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. (Annexure -27)
22	In view of enforced Model Code of Conduet, all the rules, procedure and guidelines in force shall be followed.	IGL New Delhi / user agency undertakes that As Model Code of Conduct is enforced, all the relevant rules, guidelines and procedures will be strictly adhered to. (Annexure -28)
23	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in)	undertaking/certificate enclosed as (Annexure -29, 29a)
24	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	undertaking/certificate enclosed as (Annexure -30)

जमा की गयी धनराशि का विवरण

CA amount as per Proposal	Rs.5,00,840.00
CA amount deposited	Rs. 5,00,840.00
Difference in amount	Rs. N/A
Reason for difference	Rs. N/A
NPV amount as per proposal	Rs. 3,92,882.00
Dwarf Species Charges	RS. 0.00
Total Amount deposited	8,93,722.00
Reason for difference	N/A
Any other amount depositor (Complete details be)	N/A

अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक-08 बी0 / यू0पी0 / 06/171/2023/एफ0सी0/21 दिनांक-22.4.2024 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति की शर्तों की अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नक:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0के0जानू)

मुख्य वन संरक्षक

प्रभारी वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

3247
पत्रांक / 14-10 (FP/UP/Approach/150537/2021) दिनांकित।

1. प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि डिप्टी जनरल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 आई0जी0एल0भवन, आर0के0पुरम, सेक्टर 9, नई दिल्ली को को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सैद्धान्तिक अनुमति की अनुपालन आख्या, को ऑनलाइन अपलोड करने का कष्ट करें।

(एन0के0जानू)

मुख्य वन संरक्षक

प्रभारी वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

Stage-1 Compliance

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक-3349 / 14-1 (FP/UP/Approach/150537/2023) दिनांक, मुजफ्फरनगर 20/05/2024।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

विषय:-

जनपद मुजफ्फरनगर में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा दिल्ली- हरिद्वार मार्ग कि0मी0 चैनेज 110.200 की दायी पटरी खसरा संख्या -1843/2 के किनारे ग्राम जडौदा, तहसील सदर, जिला- मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या - (FP/UP/Approach / 150537 /2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य, लखनऊ का कार्यालय पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/171/2023/एफ.सी./21, दिनांक-22.04.2024।

महोदय,

जनपद मुजफ्फरनगर में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा दिल्ली- हरिद्वार मार्ग कि0मी0 चैनेज 110.200 की दायी पटरी खसरा संख्या -1843/2 के किनारे ग्राम जडौदा, तहसील सदर, जिला- मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा आनलाईन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक- 22.04.2024 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण से निम्नानुसार वचनबद्धता मांगी गयी है-

S. NO.	Conditions	Compliances
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	IGL New Delhi / User agency undertakes that Legal status of the forest land shall remain unchanged. (Annexure -2)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.8205 ha. Degraded Forest Land in Tikola Forest Block, Jansath Range, Social Forestry Division Muzaffarnagar at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	Compensatory afforestation will be taken up by social forestry division Muzaffarnagar in an area of 0.8205 ha. (DFL) Degraded Forest Land in Tikola Forest Block, Janshat range, social forestry division Muzaffarnagar at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species shall be avoided . (Annexure - 3, 4, 4a)
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years	IGL New Delhi / User agency undertakes that, Rs. 5,00,840.00/- deposited in CAMPA fund for compensatory afforestation . (Annexure -5, 5a)
4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.4102 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5 3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 in this regards.	IGL New Delhi / User agency undertakes that Rs. 3,92,882.00/- deposited in CAMPA fund for the Net Present Value (NPV). Payment history is attached as. (Annexure -6, 6a)

5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	IGL New Delhi / User agency undertakes to pay the additional net present value (NPV) (if any) for 0.4102 ha. forest area diverted for construction of Retail outlet. (Annexure -7)
6	User agency shall restrict the felling of trees to 05 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the State Forest Department.	IGL New Delhi / User agency undertakes that they will restrict the felling of trees to 05 trees/ minimum number in the diverted forest land and the trees will be fell under the strict supervision of the state forest department and the cost of feeling of trees will be deposited by the user agency with the state forest department. (Annexure -8)
7	Separator island has to be maintained as Green Belt, in consultation with DFO. Green belt plan on separator island shall be approved by DFO, ensuring appropriate site specific species, Green belt plan shall also include species to be planted on the periphery of retail outlets and service road, if applicable, Green plan in respect of Separator island entry & exit /service road as applicable and duly approved by DFO be submitted along with compliance report.	IGL New Delhi / User agency undertakes that Separator island will be maintained as Green Belt, in consultation with DFO Green belt plan on separator island is approved by DFO, ensuring appropriate site specific species. Green belt plan is also include species to be planted on the periphery of retail outlets and service road. Green plan on Separator island/entry & exit /service road is approved by DFO and attach with compliance report. (Annexure -09, 9a, 9b)
8	Entire periphery of the establishment should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without compromising with the land requirement of the establishment.	IGL New Delhi / User agency undertakes that Entire periphery of the establishment will be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without compromising with the land requirement of the establishment. (Annexure -10)
9	User Agency and authorized signatory oil company issuing sanction letter shall be liable for land use including tree plantation for entry/exit and Separator island strictly as per the approved layout plan and any violation/ non adherence shall attract penal action prosecution in competent court of jurisdiction as per Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, (1980), Rules and guidelines.	User agency and authorized signatory oil company will liable for land use including tree plantation for entry/exit and Separator island strictly as per the approved layout plan and any violation /non adherence shall attract penal action/prosecution in competent court of jurisdiction as per FCA(1980), Rules and guidelines. (Annexure -11)
10	Green Plan duly approved by DFO in respect of Separator island/entry/exit/service road as applicable be submitted and Geo tagged six monthly reports be maintained at retail outlet and be submitted six monthly .	IGL New Delhi / User agency undertakes that Green Plan duly approved by DFO in respect of Separator island/entry/exit/service road as applicable be submitted and Geo tagged six monthly reports be maintained at retail outlet and be submitted six monthly . (Annexure -12)
11	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA certificate enclosed as (Annexure -13, 13a)
12	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	No Violation of Forest (Conservation) Act 1980 Certificate from concerned DFO enclosed (Annexure -14, 15)
13	Greenery will be maintained by user agency around Periphery of Diesel Station.	IGL New Delhi / User agency undertakes that Greenery will be maintained by them around Periphery of Fuel Station. (Annexure -16)
14	User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.	IGL New Delhi / User agency undertakes that they will use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall. certificate enclosed as. (Annexure -17)

15	Plantation shall also be done along the inside boundary of Diesel Station.	IGL New Delhi / User agency undertakes that Plantation will be done along the inside boundary of fuel Station (Annexure -18)
16	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	certificate enclosed as (Annexure – 19, 20)
17	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	IGL New Delhi / User agency undertakes that The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. (Annexure -21)
18	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	IGL New Delhi / User agency undertakes that The period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. (Annexure -22)
19	The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works. (Annexure -23,24)
20	The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.	IGL New Delhi / User agency undertakes that The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFOV/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Forest (Conservation) Act, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter. (Annexure -25, 26)
21	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests& wildlife.	IGL New Delhi / User agency undertakes that Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. (Annexure -27)
22	In view of enforced Model Code of Conduet, all the rules, procedure and guidelines in force shall be followed.	IGL New Delhi / user agency undertakes that As Model Code of Conduct is enforced, all the relevant rules, guidelines and procedures will be strictly adhered to. (Annexure -28)
23	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in)	undertaking/certificate enclosed as (Annexure -29, 29a)
24	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	undertaking/certificate enclosed as (Annexure -30)

जमा की गयी धनराशि का विवरण

CA amount as per Proposal	
CA amount deposited	Rs.5,00,840.00
Difference in amount	Rs. 5,00,840.00
Reason for difference	Rs. N/A
NPV amount as per proposal	Rs. N/A
Dwarf Species Charges	Rs. 3,92,882.00
Total	RS. 0.00
Total Amount deposited	8,93,722.00
Reason for difference	8,93,722.00
Any other amount depositor (Complete details be)	N/A
	N/A

अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा दिनांक- 22.04.2024 को निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति की समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयक प्रस्ताव में विधिवत् स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या/वचनबद्धताओं को अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर।

संख्या - / (FP/UP/Approach/150537/2021) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, आई0जी0एल0 भवन, सैक्टर-9, आर0के0पूरम नई दिल्ली।
3. मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, स्वरूप कॉम्प्लैक्स, महावीर चौक, मुजफ्फरनगर।

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर।

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।


विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में


संदर्भ:- ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Approach/150537/2021** के संबंध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024

महोदय,

विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र दिनांक-22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के संबंध में आपके पत्रांक- 3130/14-1 दिनांक 27.04.2024 के क्रम में वांछित शर्तवार अनुपालन आख्या 01 प्रति में संलग्न कर आपकी सेवा में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार


(कन्हैया चटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

भवदीय


Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-1

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी / मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली इस हेतु वचनबद्ध है।

C/S

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Sunny

Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनैज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Approach/150537/2021 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-2


प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनैज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण 0.8205 हे० जो जानसठ रेंज के टिकोला वन ब्लॉक में प्रस्तावित किया गया है से सम्बन्धित धनराशि रू० 500840.00 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार कैम्पा निधि में जमा करायी जा चुकी है। उक्त शर्त में उल्लिखित "As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided." का अनुपालन वन विभाग द्वारा किया जायेगा।


(कन्हैया पटेल) कन्हैया पटेल
प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी विभाग/सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर/मुजफ्फरनगर

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-2

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण 0.8205 हे० जो जानसठ रेंज के टिकोला वन ब्लॉक में प्रस्तावित किया गया है से सम्बन्धित धनराशि रु० 500840.00 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियामनुसार कैम्पा निधि में जमा करायी जा चुकी है। जिसकी पावती अनुपालन आख्या के साथ संलग्न है। निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कराया जायेगा।


(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

7:20 PM

Untitled Page

Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN- PRINCIPLE	Amount to be Paid / Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
P/Approach/150537/2021 ewreport.aspx? FP/UP/Approach/150537/2021)	APPROACH1505372021935	70150537935	22 Apr 2024	CA: 500840/- Addl CA 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA 0/- Zone: 0/-, Other Charges 0/- NPV: 392882/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 893722/-		Fund Demand Verified by : 29 Apr 2024 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Generated On : 29 Apr 2024 Transaction Date : 02 May 2024	Demand Letter Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=APPROACH1505372021935)
/Approach/150356/2021 wreport.aspx? P/UP/Approach/150356/2021)	APPROACH1503562021724	70150356724	10 Jan 2023	CA: 495000/- Addl CA 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA 0/- Zone: 0/-, Other Charges 0/- NPV: 248928/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 743928/-		Fund Demand Verified by : 13 Jan 2023 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Generated On : 15 Jan 2023 Transaction Date : 16 Jan 2023	Demand Letter Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=APPROACH1503562021724)
Others/146071/2021 wreport.aspx? UP/Others/146071/2021)	OTHERS1460712021354	199146071354	26 Sep 2022	CA: 0/-, Addl CA 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA 0/- Zone: 0/-, Other Charges 0/- NPV: 215022/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 215022/-		Fund Demand Verified by : 17 Oct 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Generated On : 17 Oct 2022 Transaction Date : 07 Dec 2022	Demand Letter Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS1460712021354)

CK

sclearance.nic.in/useraccount/Payment_history.aspx

(कन्हैया वटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-3

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण 0.8205 हे० व उसके 10 वर्षीय अनुरक्षण की धनराशि रू० 500840.00 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई-पोर्टल से उत्पन्न चालान के माध्यम से कैम्पा निधि में जमा किया जा चुका है, ई-चालान की रसीद की प्रति अनुपालन आख्या के साथ संलग्न है।

CK


 जिला प्रभारी



Sunny Chand
 Indraprastha Gas Ltd.

सालेनक -059

7:20 PM

Untitled Page

Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Status	Payment Detail	Demand Letter
P/Approach/150537/2021 ewreport.aspx? FP/UP/Approach/150537/2021)	APPROACH1505372021935	70150537935	22 Apr 2024	CA: 500840/- Addl CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Addl PA 0/- Zone: 0/- Other Charges 0/- NPV: 392882/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 893722/-	Paid	Fund Demand Verified by : 29 Apr 2024 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 29 Apr 2024 Transaction Date : 02 May 2024	Demand Letter Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=APPROACH1505372021935)
/Approach/150356/2021 wreport.aspx? P/UP/Approach/150356/2021)	APPROACH1503562021724	70150356724	10 Jan 2023	CA: 495000/- Addl CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Addl PA 0/- Zone: 0/- Other Charges 0/- NPV: 248928/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 743928/-	Paid	Fund Demand Verified by : 13 Jan 2023 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 15 Jan 2023 Transaction Date : 16 Jan 2023	Demand Letter Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=APPROACH1503562021724)
Others/146071/2021 wreport.aspx? UP/Others/146071/2021)	OTHERS1460712021354	199146071354	26 Sep 2022	CA: 0/- Addl CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Addl PA 0/- Zone: 0/- Other Charges 0/- NPV: 215022/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 215022/-	Paid	Fund Demand Verified by : 17 Oct 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Oct 2022 Transaction Date : 07 Dec 2022	Demand Letter Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS1460712021354)

CK

[Signature]

sclearance.nic.in/useraccount/Payment_history.aspx

(कन्हैया शर्मा)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-4

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में संरक्षित भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की वांछित धनराशि **रुपये-392882.00** (भारत सरकार के निर्देश दिनांक-06.01.2022 के अनुसार) को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा करा दिया गया है। जिसकी ई-रसीद की प्रति अनुपालन आख्या के साथ संलग्न है।

CS

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Sunny

Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

7:20 PM

Untitled Page

osal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN- PRINCIPLE Paid (in Rs.)	Amount to be Paid/Amount Payment	Status	Payment Detail	Demand Letter
/Approach/150537/2021 report.aspx? /UP/Approach/150537/2021) sal of diversion of 0.4102 ha rd for Approach access ssion to the proposed CNG station of M/s Indraprastha limited (JGL) New Delhi on Muzaffarnagar Road, FFARNAGAR	APPROACH1505372021935	70150537935	22 Apr 2024	CA: 500840/- Addl CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Addl PA 0/- Zone: 0/- Other Charges 0/- NPV: 392882/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 893722/-	Paid	Fund Demand Verified by : 29 Apr 2024 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 29 Apr 2024 Transaction Date : 02 May 2024	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/280420241927185562_FPUPApproach1505372021_User_Fund_Demanded_82616.px Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=APPROACH1505372021935)
/Approach/150356/2021 report.aspx? /UP/Approach/150356/2021) 1 ha PF Land Proposed for ch and exit road for proposed BILLING STATION in TEHSIL DISTRICT FARNAGAR (UP)	APPROACH1503562021724	70150356724	10 Jan 2023	CA: 495000/- Addl CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Addl PA 0/- Zone: 0/- Other Charges 0/- NPV: 248928/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 743928/-	Paid	Fund Demand Verified by : 13 Jan 2023 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 15 Jan 2023 Transaction Date : 16 Jan 2023	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/120120231833154688_FPUPApproach1503562021_User_Fund_Demanded_85L07.px Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=APPROACH1503562021724)
Others/146071/2021 report.aspx? /UP/Others/146071/2021) of 12 dia natural gas pipe various roads, Muzaffarnagar to Nagli Tirth Road, NH- S8 inage 90.290 to 85.800, ighth 4.490 km. total length 0.2245 ha in socia	OTHERS1460712021354	199146071354	26 Sep 2022	CA: 0/- Addl CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Addl PA 0/- Zone: 0/- Other Charges 0/- NPV: 215022/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 215022/-	Paid	Fund Demand Verified by : 17 Oct 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Oct 2022 Transaction Date : 07 Dec 2022	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/141020222028108434_FPUPOthers1460712021_User_Fund_Demanded_76GM1.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS1460712021354)

ck

isclearance.nic in/useraccount/Payment history.aspx

(कन्हैया पटेल)
 प्रमाणीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मुजफ्फरनगर

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Approach/150537/2021 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-5

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दरों में कोई संशोधन / पुनरीक्षण किया जाता है तो बड़ी हुई धनराशि जमा कराये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली इस हेतु वचनबद्ध है।

CK

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Sunny

Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Approach/150537/2021 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-6

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त "User agency shall restrict the felling of trees to 05 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the State Forest Department." के अनुपालन में बाधक वृक्षों के पातन के अलावा अन्य वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा है एवं सभी वृक्षों का पातन वन विभाग की देख-रेख में कराया जायेगा तथा बाधक वृक्षों के पातन में होने वाला व्यय मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा, इस हेतु मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली वचनबद्ध है।



Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

(कन्हैया पटेल)

प्रमाणीय निदेशक


रासायनिक खानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-7

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन की शर्त “ 7. Separator island has to be maintained as Green Belt, in consultation with DFO. Green belt plan on separator island shall be approved by DFO, ensuring appropriate site specific species. Green belt plan shall also include species to be planted on the periphery of retail outlets and service road, if applicable. Green plan in respect of Separator island/entry & exit /service road as applicable and duly approved by DFO be submitted along with compliance report. “ के अनुपालन हेतु मे ग्रीन बेल्ट प्लान अनुमोदित करा संलग्न कर दिया गया है, एवं उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा इस हेतु मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली वचनबद्ध है।

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

Proposal No.: FP/UP/Approach/150537/2021

PROJECT NAME: : Proposal of diversion of 0.4102 ha PF land for Approach access Permission to the proposed CNG filling station of M/s Indraprastha Gas Limited (IGL) New Delhi on Delhi Muzaffarnagar Road, MUZAFFARNAGAR.

PLANTATION SCHEME

GREEN BELT DEVELOPMENT PLAN

To compensate the ecological loss for felling of trees, development of aesthetic values and enhancement microclimatic conditions, about 68 nos. of trees will be planted along the boundary of Retail Outlet, 110 medium size plants on Entry & Exit lane and 08 ornamental plants at Separator Island.

Technical Specifications

The technical specifications specified here are just for understanding Green development plan. The site specific project report shall prescribe plantation pattern based on actual site conditions. The technical specifications of ornamental/flowering plants and shade plants have been presented in **Table 1** and **Table 2** respectively.

Table 1: Technical Specifications of Ornamental/ Flowering Plants at Separator Island

Distance from edge of island	1ft.
Spacing between plant to plant	1m
Spacing between rows	3 m or 10 ft
Size of the pits (normal soil)	60 X 60 X 60 cm
For Neutral soil	By auger
Water logged areas	Mounds with height varying depending on the water level
No of plants per Hectare	1000
Height of the plant	1.5 m to 2 m
Total Planted Ornamental/Flowering Plants	8

S. K. Band
Indraprastha Gas Ltd.

[Signature]

(क. ह. पटेल)
प्रभागीर निदेशक
सामाजिक इन्जिनियरी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Table 2: Technical Specifications of plants along the periphery of site

Distance from boundary	1.5 m
Spacing between plant to plant	1.5m
Size of the pits (normal soil)	60 X 60 X 60 cm
For Neutral soil	By auger
Water logged areas	Mounds
No. of plants along site	68
Height of the plant	More than 3 m

Table 3: Technical Specifications of plants along the Shoulder of Entry & Exit Lane

Distance from boundary	1-1.5 m
Spacing between plant to plant	3m
Size of the pits (normal soil)	60 X 60 X 60 cm
For Neutral soil	By auger
Water logged areas	Mounds
No. of plants along site	110
Height of the plant	More than 1.5-2 m

The calculation of plants for plantation has been presented in Table 4 below.

Table 4: Calculations of Plantation

S.no.	Particulars	Details
1	Number of Plants along the site	68
2	Number of Plants at Separator Island of 0.0084 ha (Ornamental Plants @1000 plant per hectare)	8
3	Number of Plants on Entry & Exit Lane	110
	Total	186

Species Planned for Separator Island Plantation:

The shrubs to be planted in the Separator Island shall be of low or medium height. One to two rows of flowering shrubs may be provided also grasses turf is advisable accordingly. Some herbaceous species may also be planted as ground cover, on the separator island.

The species recommended for Separator Island has been presented in Table 5 below.

CLB

[Signature]

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

2020
28/5/20

Table 5: Species Recommended for Separator Island Plantation

S. No.	Botanical Name	Common Name
1.	<i>Hibiscus sp./rosa-sinensis</i>	Gurhal
2.	<i>Ixora sp.</i>	flame of the woods
3.	<i>Nerium oleander</i>	Kaner
4.	<i>Thevetia peruviana</i>	Yellow Kaner
5.	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rose
6.	<i>Calliandra haematocephala</i>	Powder Puff
7.	<i>Cascabela thevetia</i>	Kaner

Species Planned for Boundary of Site:

Based on the climatic zone and climatic conditions following tree species as presented in **Table 6** may planted in Boundary, Entry & Exit Lane.

Table 6: Species Recommended

S. No.	Botanical Name	Local Name
1.	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	Areca Palm
2.	<i>Saraca asoca</i>	Ashok
3.	<i>Araucaria columnaris</i>	The cook Pine
4.	<i>Roystonea regia Arecales</i>	Royal Palm
5.	<i>Cycas revoluta</i>	Sago palms
6.	<i>Ficus benjamina,</i>	Weeping Fig

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वन्यजीव प्रभाग
मुजफ्फरनगर
Divisional Forest Officer,
Social Forestry Division,
Muzaffarnagar

Countersigned -


User Agency


Sunay Chaud

Arastha Gas Ltd.

Green Plan Map Of Access Permission to the Proposed CNG Station Site of M/S Indraprastha Gas Limited (IGL) From Delhi to Muzaffarnagar Road, NH-334 (Old NH- 58) At KM 110.200 (RHS), At Khasra No. 1834/2, In Village- Jaroda, Tehsil- Sadar, District- Muzaffarnagar (U.P.)

0 37.5 75 150
M

Scale - 1:1,500



(कन्हैया पटेल)

प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Approach/150537/2021 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-8

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार की शर्त “ 8. Entire periphery of the establishment should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without compromising with the land requirement of the establishment. ” के अनुपालन हेतु मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली वचनबद्ध है।

CK

(कन्हैया प्रतेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी , खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-9

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी , खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार की शर्त “ *User Agency and authorized signatory oil company issuing sanction letter shall be liable for land use including tree plantation for entry/exit and Separator island strictly as per the approved layout plan and any violation /non adherence shall attract penal action/prosecution in competent court of jurisdiction as per FCA (1980), Rules and guidelines* ” का अनुपालन किया जाएगा , एवं किसी भी प्रकार के उल्लंघन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

(कन्हैया पटेल) ~~(कन्हैया पटेल)~~
 प्रभागीय निदेशक ~~प्रभागीय निदेशक~~
 सामाजिक वानिकी ~~प्रभागीय निदेशक~~
 मुजफ्फरनगर ~~मुजफ्फरनगर~~

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Approach/150537/2021 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-10

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार की शर्त “ 10. Green Plan duly approved by DFO in respect of Separator island/entry/exit/service road as applicable be submitted and Geo tagged six monthly reports be maintained at retail outlet and be submitted six monthly. “ का अनुपालन किया जाएगा, एवं ग्रीन प्लान प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग से अनुमोदित करा कर अनुपालन आख्या के साथ संलग्न कर दिया गया है।



CH
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-11

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों) की मान्यता अधिनियम 2006 (FRA) के अन्तर्गत जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। जिसकी प्रति संलग्न है।



(कन्हैया पटेल)
 प्रमाणीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मुजफ्फरनगर


Sunny Chand
 Indraprastha Gas Ltd.

Form-1

(for Plantations on non-forest land and notified as " protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule 6(3) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttra Pradesh
Office of District Collector

No. 3337 Dated 18-05-2024

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3) (e) of the Forest (conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014, Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014, and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016, it is certified that **0.4102 hectares of PF land** proposed to be diverted in favour of Indraprastha Gas Ltd., New Delhi for the purpose of forest land diversion proposal for CNG pump Delhi – Haridwar road (NH -334), from km. chainage 110.200 (RHS) in Muzaffarnagar division **Total 0.4102 Ha PF Land Required for the project** mentioned above Protected Forest Land , in **Village- Jarauda, Tehsil- Sadar, District- Muzaffarnagar** in the state of Uttar Pradesh, having no recorded population of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that.

- The Protected Forest namely Delhi – Haridwar road (NH -334) involved in the above village are plantation raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no 1115/14-331-50 dated -10.02.1960.
- There fore, these PF neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the PF for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
Divisional Director
Social Forestry Division
Muzaffarnagar

District Social Welfare Officer
Muzaffarnagar

District Collector
Muzaffarnagar

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Approach/150537/2021 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-12

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी / मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(कन्हैया पटेल) (कन्हैया पटेल)
 प्रभागीय निदेशक प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-12

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी / मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है एवं न ही भविष्य में उक्त अधिनियम का कोई उल्लंघन किया जायेगा।

CLS

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Sunny Chand

Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-13

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार की शर्त —“ 13. Greenery will be maintained by user agency around Periphery of Diesel Station.” के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है कि फिलिंग स्टेशन के चारों ओर हरियाली रखी जायेगी।

CLG

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर



Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-14

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में फिलिंग स्टेशन के पहुंच एवं निकासी मार्ग के मध्य मार्ग की भूमि का प्रयोग वृक्षारोपण, वृक्षों के संरक्षण हेतु किया जायेगा एवं उक्त हेतु भूमि की 02 फुट ऊंची दीवाल से घेराबन्दी की जायेगी।

CS

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-15

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में वचनबद्धता दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी / मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा फिलिंग स्टेशन के क्षेत्र (आन्तरिक बाउण्ड्री) में वृक्षारोपण किया जायेगा।

CLG

(कन्हैया पटेल)

प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Sunny

Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Approach/150537/2021 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-16



प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में MORTH की की गाईड लाईन दिनांक-24.07.2013 में उल्लिखित दूरी के अन्तर्गत कोई पेट्रोल पम्प पूर्व से स्थापित नहीं है।


(कन्हैया पटेल) (कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वाणिज्यिक प्रभाग सामाजिक वाणिज्यिक प्रभाग
मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-16

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त की गयी है, जिसकी MORTH की गाईड लाईन दिनांक 24.07.2024 को भी सम्मिलित किया गया है।




(कन्हैया पटेल)
 प्रमाणीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मुजफ्फरनगर


Sunny Chand
 Indraprastha Gas Ltd

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-17

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त "The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer." के अनुपालन में हस्तान्तरित होने वाली भूमि का मौके पर डिमार्केशन प्रभागीय वनाधिकारी / वन विभाग के निर्देशन में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर कराया जायेगा, इस हेतु मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली वचनबद्ध है।


Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.


CB
(कन्हैया प्रतेल)
प्रभागीय निर्देशक
वन विभाग
जिला मुजफ्फरनगर
(12/04/2024)


जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-18

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त "*The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less*". के अनुपालन में परियोजना अवधि या लीज अवधि जो भी कम हो उस अवधि तक ही आलोच्य भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी / मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली के अधिकार में बनी रहेगी। इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी जाती है।

CB


Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.


(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
वाणिज्यिक गैरवानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-19

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में संबंधित वन क्षेत्र, क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र की के०एम०एल०, कार्यपूर्ण होने से पूर्व नियमानुसार ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा दिल्ली- हरिद्वार मार्ग कि०मी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी खसरा संख्या -1843/2 के किनारे ग्राम जडौदा, तहसील सदर, जिला- मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त अनुपालन आख्या।

on line proposal No. FP/UP/Approach/150537/2021

शर्त संख्या-19

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-मुजफ्फरनगर में जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा दिल्ली- हरिद्वार मार्ग कि०मी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी खसरा संख्या -1843/2 के किनारे ग्राम जडौदा, तहसील सदर, जिला- मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में संबंधित हस्तान्तरित वन भूमि कि के०एम०एल०, क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र की के०एम०एल० आदि को कार्यपूर्ण होने से पूर्व नियमानुसार ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। इस हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर वचनबद्ध है।



(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-20

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार की शर्त *"The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter"* के अनुपालन में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की दशा में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

 (कन्हैया पटेल) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर	 (कन्हैया पटेल) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर
---	---


जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Approach/150537/2021 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-20

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार की शर्त “*The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter*” के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है कि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

cle

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निवेष्टक
सामाजिक दायित्व
मुजफ्फरनगर



Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.


जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-21

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव वर्ष 2021 से प्रचलन से हैं, एवं उक्त प्रस्ताव मे भारत सरकार की शर्त “Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.” का अनुपालन कया जाएगा।

CLG

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approach/150537/2021 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-22

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव वर्ष 2021 से प्रचलन से हैं, एवं उक्त प्रस्ताव मे भारत सरकार की शर्त “ In view of enforced Model Code of Conduct, all the rules, procedure and guidelines in force shall be followed.” यदि भारत सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण और विकास के हित में कोई शर्त भविष्य में अधिरोपित कि जाती है तो वह इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली को मान्य होगी, इस हेतु मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०, नई दिल्ली वचनबद्ध है।



Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.



(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-23




प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि **रुपये-500840.00** एवं **एन0पी0वी0** की धनराशि **रुपये-392882.00** कुल योग— **रुपये 893722.00** परिवेश पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा निधि में जमा करा दी गयी है। जिससे संबंधित ई-रसीद की प्रति अनुपालन आख्या के साथ संलग्न है।

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Sunny Chand
Indraprastha Gas Ltd.

3/24, 7:20 PM

Untitled Page

o. Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/UP/Approach/150537/2021 (.../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Approach/150537/2021) Proposal of diversion of 0.4102 ha PF land for Approach access Permission to the proposed CNG Filling station of M/s Indraprastha Gas Limited (IGL) New Delhi on Delhi Muzaffarnagar Road, MUZAFFARNAGAR	APPROACH1505372021935	70150537935	22 Apr 2024	CA: 500840/- Addl CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Addl PA 0/- Zone: 0/- Other Charges 0/- NPV: 392882/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 893722/-	 Paid	Fund Demand Verified by : 29 Apr 2024 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 29 Apr 2024 On Transaction Date : 02 May 2024	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/280420241927185562_FPUPApproach1505372021_User_Fund_Demanded_82616.pdf) Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=APPROACH1505372021935)
FP/UP/Approach/150356/2021 (.../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Approach/150356/2021) 0.2599 ha PF Land Proposed for approach and exit road for proposed CNG FILLING STATION in TEHSIL SADAR DISTRICT MUZAFFARNAGAR (UP)	APPROACH1503562021724	70150356724	10 Jan 2023	CA: 495000/- Addl CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Addl PA 0/- Zone: 0/- Other Charges 0/- NPV: 248928/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 743928/-	 Paid	Fund Demand Verified by : 13 Jan 2023 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 15 Jan 2023 On Transaction Date : 16 Jan 2023	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/120120231833154688_FPUPApproach1503562021_User_Fund_Demanded_85107.pdf) Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=APPROACH1503562021724)
FP/UP/Others/146071/2021 (.../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Others/146071/2021) Laying of 12 dia natural gas pipe line at various roads, Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Road, NH- 58 km. chainage 90.290 to 85.800, total length 4.490 km. total length hectare 0.2245 ha in socia	OTHERS1460712021354	199146071354	26 Sep 2022	CA: 0/- Addl CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Addl PA 0/- Zone: 0/- Other Charges 0/- NPV: 215022/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 215022/-	 Paid	Fund Demand Verified by : 17 Oct 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 17 Oct 2022 On Transaction Date : 07 Dec 2022	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/141020222028108434_FPUPOthers1460712021_User_Fund_Demanded_768M1.pdf) Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS1460712021354)

(कन्हैया शेटेल)
 प्रमाणीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मुजफ्फरनगर






Signature
 Date: 09/10/2024

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी , खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— **FP/UP/Approach/150537/2021** में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक -8B/UP/171/2023/FC/21 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-24

प्रमाणित किया जाता है कि मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी , खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक— 24.04.2024 की अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।



(कन्हैया पटेल)
 प्रमाणीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मुजफ्फरनगर


Sunny Chand
 Indraprastha Gas Ltd.

BRBR 520240 50 2 00 7 30 89

Branch P. PURAM
Date 02/05/2024


Base Branch : PALLAV PURAM
Account No. 29410200005425
Name of A/c holder Sandeep Sirohi
SRONI CHQ STATION

RTGS/NEFT favouring :
Bank : UNION BANK OF INDIA
Branch : PS Centre, 21/6, III floor, Jodhpur
IFS Code : UBIN0996335
Beneficiary's Account No. : 15090701505379
Beneficiary A/c Type : 1509070150537935
Beneficiary's Name : UTTAR PRADESH CAMPA

	Amount (Rs.)
Amount of Remittance	<u>893722.00</u>
Exchange	
Total	<u>893722.00</u>

Amount (in words)
Rupees Eight Lacs Ninety
Three Thousand Seven
Hundred Twenty Two only

Challan dt 29-4-24
Paid by RTGS to Challan
dt 29-4-24 in
of Cashier/Teller



Acctt.

(कन्हैया पटेल)
प्रमोदीय निदेशक
सामाजिक कानिकी प्रमोदी
मुजफ्फरनगर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 29-04-2024

Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Application No.	70150537935
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/171/2023/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	IGL BHAVAN PLOT NUMBER 4 COMMUNITY CENTRE RK PURAM SECTOR 9 NEW DELHISouth West
Amount(in Rs)	893722/-

Amount in Words :Eight Lakh Ninety-Three Thousand Seven Hundred and Twenty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509070150537935 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 29-04-2024

Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Application No.	70150537935
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/171/2023/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	IGL BHAVAN PLOT NUMBER 4 COMMUNITY CENTRE RK PURAM SECTOR 9 NEW DELHI South West
Amount(in Rs)	893722/-

Amount in Words :Eight Lakh Ninety-Three Thousand Seven Hundred and Twenty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509070150537935 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

[Handwritten Signature]

Stamp
17-04-24



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यास्वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू०पी०/०६/१७१/२०२३/एफ.सी./२१

दिनांक : 22.04.2024

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approach/150537/2021

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील-सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 3175/11-सी-FP/UP/Approach/150537/2021, दिनांक 05.04.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-198/81-2-2023-800(209)/2023, दिनांक 16.08.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील-सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.8205 ha. Degraded Forest Land in Tikola Forest Block, Jansath Range, Social Forestry Division Muzaffarnagar at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.4102 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 in this regards.
5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to 05 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of

7. Separator island has to be maintained as Green Belt, in consultation with DFO. Green belt plan on separator island shall be approved by DFO, ensuring appropriate site specific species. Green belt plan shall also include species to be planted on the periphery of retail outlets and service road, if applicable. Green plan in respect of Separator island/entry & exit /service road as applicable and duly approved by DFO be submitted along with compliance report.
8. Entire periphery of the establishment should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without compromising with the land requirement of the establishment.
9. User Agency and authorized signatory oil company issuing sanction letter shall be liable for land use including tree plantation for entry/exit and Separator island strictly as per the approved layout plan and any violation/ non adherence shall attract penal action/ prosecution in competent court of jurisdiction as per Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, (1980), Rules and guidelines.
10. Green Plan duly approved by DFO in respect of Separator island/entry/exit/service road as applicable be submitted and Geo tagged six monthly reports be maintained at retail outlet and be submitted six monthly.
11. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
12. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
13. Greenery will be maintained by user agency around Periphery of Diesel Station.
14. User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.
15. Plantation shall also be done along the inside boundary of Diesel Station.
16. Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.
17. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
19. The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
20. The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.
21. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
22. **In view of enforced Model Code of Conduct, all the rules, procedure and guidelines in force shall be followed.**
23. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
24. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).


After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीय,

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
5. डिप्टी जनरल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, आई०जी०एल० भवन, आर०के० पुरम, सेक्टर-9, नई दिल्ली।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।



(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}